मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 132वीं बैठक दिनांक 06.06.2009 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य मा0 उपाध्यक्ष
3.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री वी0के0 शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त,
4.	कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।	प्रतिनिधि	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव, कृषि भारत सरकार, नई दिल्ली।
5.	प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री के0एस0 अटोरिया, खाद्य आयुक्त
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री आर0एस0 वर्मा, सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
7.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री बी0एल0 अग्रवाल, विशेष सचिव, कृषि विभाग
8.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री आर0एल0 उपाध्याय अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री जे0के0 गुप्ता, प्रोजेक्ट डवलपमेन्ट आफिसर उद्यान विभाग
10.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजित राम वर्मा, कृषि निदेशक कृषि निदेशालय
11.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
12.	श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य एवं सचिव	सदस्य/ सचिव	श्री राजेश कुमार सिंह सदस्य एवं सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
1	मा0 परिषद की 131वीं बैठक दिनांक 10.02.2009 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

2	मा0 परिषद की 131वीं बैठक दिनांक 10.02.2009 की अनुपालन आख्या।	मा0 परिषद की 131वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3	मण्डी समितियों की आय से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी समिति की आय की प्रगति अवलोकित की गयी तथा रिकार्ड बढ़ोत्तरी हेतु प्रशंसा व्यक्त की गयी।
4	अपना बाजार परियोजना में विवादित 13 दुकानों के सम्बन्ध में मा0 जिला उपभोक्ता फोरम, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2007 के अनुपालन तथा अन्य न्यायालयों में लम्बित वादों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5	इंस्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव एण्ड कार्पोरेट मैनेजमेन्ट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (आई.सी.सी. एम.आर.टी.) को वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया गया है उनकी सूची तैयार कर ट्रेनिंग का कैलेण्डर बनाया जाय तथा आगामी संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
6	प्रदेश के किसानों को मण्डी समितियों में विक्रय होने वाले विभिन्न जिन्सों की दर की सूचना उपलब्ध कराने हेतु कृषक उपहार योजनान्तर्गत कृषकों को मोबाइल दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि लाइफ टाइम का कनेक्शन कृषक उपहार में कृषकों को दिये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाय और यदि किसी कृषक को एक बार मोबाइल उपहार योजना में प्राप्त होता है तो उस कृषक के नाम पर पुनः मोबाइल उपहार योजना में दिये जाने पर विचार न किया जाय।
7	मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना हेतु मण्डी स्थल, चितबड़ागॉव हेतु अधिगहीत भूमि में से 4.35 एकड़ भूमि नगर पंचायत चितबड़ागॉव (बलिया) को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रगति।	प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत मण्डी स्थल, चितबड़ागॉव हेतु अधिगहीत भूमि में से 4.35 एकड़ भूमि नगर पंचायत चितबड़ागॉव (बलिया) को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 13.03.2009 में लिये गये निर्णयानुसार भूमि के समतुल्य भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही तत्काल की जाय।
8	जनपद इटावा में मण्डी स्थल जसवन्तनगर एवं भर्थना में मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में प्रस्तावित भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2009 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी, इटावा को मुख्य सचिव की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भेजते हुए स्थिति से अवगत करा दिया जाय।
9	नवीन मण्डी/उप मण्डी निर्मित किये जाने हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि नवीन मण्डी स्थल धामपुर (बिजनौर), बिलासपुर (रामपुर) तथा उप मण्डी स्थल गोवर्धन (मथुरा), मलिहाबाद (लखनऊ) एवं जुबैरगंज (फैजाबाद) में उपयुक्त स्थानों पर निर्माण कराये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

10	"क" विशिष्ट एवं "क" श्रेणी के मण्डी स्थलों में 50 टन क्षमता के इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज की आपूर्ति/ स्थापना/ कमीशनिंग/ तीन वर्ष तक संचालन एवं कम्प्रेहेन्सिव मेन्टीनेन्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
11	बी0एस0एन0एल0 द्वारा मण्डी परिषद/ मण्डी समिति के अधिकारियों हेतु सी0यू0जी0 प्लान के अर्न्तगत टेलीफोन (मोबाइल) कनेक्शन का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निदेशक, मण्डी परिषद को आवश्यकतानुसार अन्य कर्मियों को परिषद हित में सी0यू0जी0 में सम्मिलित करने हेतु अधिकृत किया गया।
12	जनपद सोनभद्र में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा करहिया में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि कृषि उत्पादन आयुक्त, निदेशक, मण्डी परिषद तथा आर0ई0एस0 विभाग के अधिकारियों के साथ सम्यक विचार कर संस्तुति मण्डी परिषद को प्रेषित की जाय जिसे मा0 संचालक मण्डल की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।
13	श्री अशोक कुमार सक्सेना, विधि अधिकारी को उपनिदेशक (विधि) के पद पर प्रदान की गयी पदोन्नति के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा उप निदेशक (विधि) के पद पर की गयी पदोन्नति का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
14	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने सम्बन्धी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने सम्बन्धी कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2009 को दिये गये निर्देश के क्रम में कार्यवाही की जाय एवं मण्डी परिषद द्वारा की गयी स्पेशल अपील को वापस लिया जाय।
15	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ठेकेदारों की श्रेणीवार पंजीकरण/ नवीनीकरण नियमावली, 1997 में संशोधन एवं निर्माण कार्यों में जमा की जाने वाली धरोहर धनराशि के निर्धारण का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1	आम निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रक्रियात्मक सरलीकरण विषयक प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
2	पेरीसेबिल उत्पादों के परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु रिफर वैन की व्यवस्था विषयक प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

3	कृषक हित में नो इन्ट्री के दौरान पेरिसेबल सब्जियों एवं फलों के वाहनों को प्रवेश अपवाद स्वरूप देने सम्बन्धी संकल्प।	नो इन्ट्री के कारण शहर के बाहर किसानों की भी फल, सब्जियाँ (पेरिसेबल आइटम) से भरी गाड़िया रोक दी जाती है जिसके कारण उनका अधिकतर सामान फल, सब्जी (पेरिसेबल आइटम) खराब हो जाता है कि अथवा खराब हो जाने की सम्भावना रहती है। इस कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, अतः मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया गया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके समाधान हेतु निर्णय लिया जाय जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।

09.06.2019

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

(इन्द्रजीत सरोज)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश